

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: आदेश ::

का0आ10-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...2201.../पटना-15, दिनांक...30-1-26
वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-10543 दिनांक 10.06.2025 एवं समय-समय पर निर्गत
अन्य संकल्पों एवं परिपत्रों के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित सहायक प्रशाखा
पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना)
नियमावली, 2025 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित
वेतनमान वेतन बैण्ड-रू0 9300-34800/- + ग्रेड वेतन-रू0 4800/-, पुनरीक्षित वेतनमान
लेवल-8 में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/वरीयता क्र0/ जन्म तिथि/से0नि0 की तिथि/विभाग का नाम	प्रथम रूपांतरित वित्तीय उन्नयन (एम0ए0सी0पी0) की तिथि
1	2	3
1	श्री दयाशंकर झा, अवर सचिव, 148 / 2024 05.01.1966 / 31.01.2026 नगर विकास एवं आवास विभाग।	15.12.2014
2	श्री कीर्ति कौशल, अवर सचिव, 494 / 2024 05.02.1980 / 29.02.2040 वित्त विभाग	24.02.2024
3	श्री रामनारायण कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, 731 / 2024 05.04.1981 / 30.04.2041 गन्ना उद्योग विभाग।	21.03.2024
4	श्री रोहित रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी, 1124 / 2024 07.01.1983 / 31.01.2043 पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय, पटना।	10.03.2024
5	श्री प्रमोद कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, 1178 / 2024 05.01.1984 / 31.01.2044 उद्योग विभाग	24.02.2024
6	श्री नन्द किशोर, प्रशाखा पदाधिकारी, 1244 / 2024 18.05.1985 / 31.05.2045 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	17.11.2025
7	श्री आलोक कुमार सुधांशु प्रशाखा पदाधिकारी, 1256 / 2024 02.12.1982 / 31.12.2042 मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, भागलपुर।	04.04.2025

8	श्री राजेश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, 1526 / 2024 05.02.1986 / 28.02.2046 स्वास्थ्य विभाग।	28.02.2024
---	---	------------

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (I), वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590 दिनांक 24.05.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त एम0 ए0 सी0 पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

ह0/-

(केशव कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार पटना/सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन/विकास भवन/सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव (वरीय प्रभार, बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग)/उप सचिव (प्रभारी, बिहार सचिवालय सेवा)/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव तथा प्रशाखा पदाधिकारी-15, 16, 17, 24 एवं स्थापना प्रशाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0 प्र0.....पटना-15, दिनांक
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (वि0वै0दा0नि0को0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0 प्र0.....2201.....पटना-15, दिनांक 30-1-26
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30.01.2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::: आदेश :::

का0आ0-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...2202...../पटना-15, दिनांक...30-1-26

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-10543 दिनांक 10.06.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों एवं परिपत्रों के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2025 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान वेतन बैण्ड-रू0 9300-34800/- + ग्रेड वेतन-रू0 4800/-, पुनरीक्षित वेतन स्तर-8 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/जन्म तिथि/से0नि0 की तिथि/विभाग का नाम	द्वितीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन (एम0ए0सी0पी0) की तिथि
1	2	3
1	श्री आशुतोष राजन तिवारी, सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, 1330/2024 01.03.1977/28.02.2037 जल संसाधन विभाग।	सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-16271 दिनांक 24.08.2023 द्वारा प्रदत्त द्वितीय एम0ए0सी0पी0 (दिनांक 14.12.2017) को संशोधित तिथि 06.01.2017 स्वीकृत।
2	श्रीमती कुमारी अणु दत्ता, सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, 1343/2024 01.04.1973/31.03.2033 जल संसाधन विभाग।	सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-16271 दिनांक 24.08.2023 द्वारा प्रदत्त द्वितीय एम0ए0सी0पी0 (दिनांक 14.12.2017) को संशोधित तिथि 31.07.2017 स्वीकृत।
3	श्री आमोस मरांडी, सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी 1351/2024 13.04.1973/30.04.2033 सामान्य प्रशासन विभाग।	सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-16271 दिनांक 24.08.2023 द्वारा प्रदत्त द्वितीय एम0ए0सी0पी0 (दिनांक 23.08.2018) को संशोधित तिथि 14.08.2017 स्वीकृत।
4	श्री तौजिहुल इस्लाम सिद्दकी, सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, 1352/2024 19.02.1968/29.02.2028 जल संसाधन विभाग।	सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-16271 दिनांक 24.08.2023 द्वारा प्रदत्त द्वितीय एम0ए0सी0पी0 (दिनांक 14.12.2017) को संशोधित तिथि 02.07.2017 स्वीकृत।
5	श्री सुजीत कुमार विमल, सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, 1354/2024 02.10.1975/31.10.2035 जल संसाधन विभाग।	सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-16271 दिनांक 24.08.2023 द्वारा प्रदत्त द्वितीय एम0ए0सी0पी0 (दिनांक 14.12.2017) को संशोधित तिथि 31.07.2017 स्वीकृत।

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (I), वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590 दिनांक 24.05.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

21/2/26

3. उपर्युक्त के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त एम0 ए0 सी0 पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

ह0/-

(केशव कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार पटना/सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन/विकास भवन/सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव (वरीय प्रभार, बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग)/उप सचिव (प्रभारी, बिहार सचिवालय सेवा)/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव तथा प्रशाखा पदाधिकारी-15, 16, 17, 24 एवं स्थापना प्रशाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0 प्र0.....पटना-15, दिनांक
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (वि0वै0दा0नि0को0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0 प्र0.....2202.....पटना-15, दिनांक31-1-26.....
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.01.2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::: आदेश :::

का०आ०-24/बि०स०से०-10-08/2025 सा०प्र०.....2203...../पटना-15, दिनांक...३०-1-2८

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-10543 दिनांक 10.06.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों एवं परिपत्रों के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत (सेवानिवृत्त/कार्यरत) कर्मी को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2025 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान वेतन बैंड-रू० 9300-34800/- + ग्रेड वेतन-रू० 5400/-, पुनरीक्षित वेतन स्तर-9 में तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/जन्म तिथि/से०नि० की तिथि/विभाग का नाम	तृतीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन (एम०ए०सी०पी०) की तिथि
1	2	3
1	श्री सत्राजीत मिश्र, सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 277 / 19 15.10.1959 / 31.10.2019 महाधिवक्ता का कार्यालय	विभागीय पत्रांक-9115 दिनांक 18.08.2021 द्वारा प्रदत्त तृतीय एम०ए०सी०पी० (दिनांक 28.09.2014) को संशोधित तिथि 10.08.2014 स्वीकृत।
2	श्री संजीव शरण, सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, 1313 / 2024 02.03.1967 / 31.03.2027 श्रम संसाधन विभाग।	03.03.2025
3	श्री संजय कुमार सिंह, सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, 1314 / 2024 31.12.1967 / 31.12.2027 लघु जल संसाधन विभाग।	04.09.2025

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (I), वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590 दिनांक 24.05.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त एम० ए० सी० पी० के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

ह०/-
(केशव कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि०स०से०-10-08/2025 सा०प्र०...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार पटना/सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन/विकास भवन/सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव (वरीय प्रभार, बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग)/उप सचिव (प्रभारी, बिहार सचिवालय सेवा)/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव तथा प्रशाखा पदाधिकारी-15, 16, 17, 24 एवं स्थापना प्रशाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0 प्र0.....पटना-15, दिनांक

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (वि0वै0दा0नि0को0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0 प्र0.....१२०३.....पटना-15, दिनांक३०-१-२६

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/2

30.01.2026
सरकार के संयुक्त सचिव।